प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बीस'

[19/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1061]

परिशिष्ट - अ
प्रश्न क्र 1061

मध्यप्रदेश शासन
खनिज संसाधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 14-96/99/12/2 भोपाल, दिनांक 8/10/99

प्रति,

कलेक्टर
जिला-रीवा
मध्यप्रदेश

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 202/95 गोदावर्मन विरुद्ध भारत शासन एवं अन्य तथा इसके अंतर्गत प्रस्तुत अंतरिम याचिका क्रमांक 263/98 के संबंध में ।

-0-

विषयांकित अंतरिम याचिका क्रमांक 263/98 जो आपके जिले के उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ग्राम हनुमना लोढ़ी में अवैध खनिज उत्खनन/परिवहन वन क्षेत्र में किए जाने से संबंधित है का कृपया अवलोकन हो ।

2/ प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पालन में दिनांक 20.4.1998 को आपके द्वारा समिति का गठन किया गया । गठित समिति द्वारा क्षेत्र की जांच कर निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही अनुशंसित की गई है :-

(1) सीमावर्ती क्षेत्र से 150 मीटर की दूरी तक कोई पट्टा आदि स्वीकृत नहीं किए जावें ।

(2) सीमावर्ती क्षेत्र से 150मीटर की दूरी छोड़कर जो पट्टे स्वीकृत किए गए हैं उनका पुनः सीमांकन किया जाये ।

(3) उपरोक्त क्षेत्र में स्वीकृत पट्टों से खनिज निकास के लिए पारपत्र संबंधित पट्टाधारियों को सीधे उपलब्ध न कराते हुए, इसके लिए पारपत्र जारी करने खनि निरीक्षक को दिया जाए ।

(4) अवैध उत्खनन/परिवहन के पकड़े गये/लंबित प्रकरणों का त्वारित निराकरण किया जाए ।

(5) क्षेत्र की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए ।

3/ समिति की उपरोक्त अनुशंसा माननीय न्यायालय द्वारा शीघ्र क्रियान्वित करने निर्देशित किया गया है । अतः एतद द्वारा निर्देशित

..2

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

किया जाता है कि :-

(1) जिले के उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्र से 150मीटर की दूरी तक कोई पट्टे आदि स्वीकृत नहीं किए जावें ।

(2) सीमावर्ती क्षेत्र से 150 मीटर की दूरी छोड़कर राजस्व क्षेत्र में स्वीकृत पट्टों का पुनः सीमांकन किया जाए ।

(3) सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वीकृत पट्टों के पट्टाधारियों को ट्रांजिट पास बुक उपलब्ध नहीं कराई जाए अपितु इनके खनिज निकास/परिवहन के लिए संबंधित खनि निरीक्षक द्वारा ट्रांजिट पास काटे जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(4) जिले में प्रश्नाधीन सीमावर्ती क्षेत्र से संबंधित अवैध उत्खनन के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए ।

(5) विभागीय अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 19-150/96/12 दिनांक 27.12.96 से आपकी अध्यक्षता में गठित पुलिस, वन, खनिज एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की समिति द्वारा क्षेत्र की सतत निगरानी रखी जाए, समिति द्वारा की जाने वाली जांच के स्थायी अभिलेख के रूप में जांच पंजी संधारित की जाए ।

उपरोक्त बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही की ~~प्रति~~ जानकारी स्वरूप प्रतिमाह की 10तारीख तक पालन प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(अनिल त्रिवेदी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग

पृ0क्र0एफ 14-96/99/12/2 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि-

1- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, रायपुर

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग